न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 01 / 2025
दायर दिनांक :– 02.01.2025

अनवान

1. लादू लाल पिता भूरा रेगर नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा .... प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश पिता सवाई रेगर नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2. छाढ पत्नि सवाई रेगर नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3. मोहन पिता सवाई रेगर नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4. रामदेव पिता सवाई रेगर नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री विजय कुमार पाराशर, एडवोकेट प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक 11 .09.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 02.01.2025 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा फुलियाकीलां पटवार मण्डल क्षेत्र फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां स्थित खसरा संख्या 6113 / 5868 प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थी की खातेदारी खसरे में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण / रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण वर्षो से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट / बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की आराजी संख्या 2199 में से नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार कराया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की खसरान संख्या 2199 भूमि तथा बिलानाम भूमि आ.न. 2199 / 5354 में से 20 फिट नवीन रास्ता किस्म रास्ता दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 01 से 04 बावजुद सुचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की आराजी न. 6113/5868 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जाँच कर तहसीलदार फुलियाकलां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार फुलियाकलां ने जरिये पत्र दिनांक 12.08.2025 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार फुलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 2199/5354, 2199 में से रास्ता देने पर 0.0396 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। तथा वैकल्पिक रास्ता आ. न. 2201 में से भी बताया गया है। जिसमें से रास्ता देने पर 0.0312 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी की जोत आ.न. 6113/5868 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है, क्योंकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता अवरूद्व कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबंधित विधिक प्रावधान निम्नानुसार है किं

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि खातेदारों के बीच मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार फुलियाकलां की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अपने आ.न. 6113/5868 में आने जाने हेतु ख. न. 2199/5354, 2199 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार फुलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आ.न. 6113/5868 में आने जाने हेतु वर्तमान में आराजी नं. 2201 में से वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। तथा प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आ जा रहा है। जो कि प्रार्थी के परिवारजन की ही है। जो नहर के सहारे मौके पर आम रास्ता बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपने आ.न. 6113/5868 में आने जाने

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां, जिला–भीलवाड़ा

हेतु ख. न. 2199/5354, 2199 में से रास्ता चाहते है। जबकि वर्तमान मे वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होकर मौके पर चालु है।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आ.न. 6113/5868 तक पहुँचने हेतु मौके पर रास्ता मौजूद होकर चालू है। वैकल्पिक रास्ते होने और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता नहीं होने के कारण न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11 .09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां (भीलवाड़ा)